भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 160

उत्तर देने की तारीख: 18.11.2019

गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा

160. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत गरीब बच्चों जिन्हें आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है को आगे पढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 में स्कूल शिक्षा हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक एकीकृत योजना-समग्र शिक्षा की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में तीन तत्कालीन केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं नामत: सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को सम्मिलित किया गया है। यह योजना स्कूल शिक्षा प्री-स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक सातत्य के रूप में परिकल्पना करती है जिसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के नए स्कूलों को खोलने/ सुदृढ़ीकरण करने, स्कूल भवन और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, आवासीय स्कूलों/ छात्रावासों की स्थापना, परिवहन भत्ता और नामांकन एवं प्रतिधारण अभियान को शुरू करने सहित शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए छात्र उन्मुख घटक के तहत विशेष जरूरतों वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन हेतु सहायता सामग्री और उपकरण, ब्रेल किट

और किताबें, उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री और विकलांग छात्राओं को छात्रवृत्ति आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****